

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/2016

जयपुर, दिनांक : 13/7/2016

—: आदेश :—

श्रीमती प्रिमरोज, नर्स ग्रेड-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 108/2006 व सेर्वावृत्ति दिनांक 31.08.2020 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प.17(1)साप्र/2/2010 पार्ट दिनांक 9.12.2010 के द्वारा राजकीय आवास संख्या 4/1, गांधीनगर, जयपुर नियमानुसार किराये पर आवंटित किया गया है। श्रीमती प्रिमरोज द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 4/1, गांधीनगर, जयपुर को लगभग 10-12 माह से लावारिहा स्थिति में छोड़ दिए जाने, आवास की सार-संभाल नहीं होने, राजकीय आवास में फैली गंदगी, आस-पड़ोस के निवासियों की समस्याओं, विभाग द्वारा लिखे गए पत्रों का प्रतिक्रियुत्तर नहीं दिए जाने एवं आवास आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण आवंटित राजकीय आवास 4/1, गांधीनगर, जयपुर का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजकुमार शर्मा)

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया नियमानुसार आवास रिक्त कराने की कार्यवाही सम्पादित करावें।
2. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गाँधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
9. श्रीमती प्रिमरोज, नर्स ग्रेड-II, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय आवास तत्काल रिक्त करें।
10. रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव